

FROM No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत कम्प्लेक्स इन्फ्रस्ट्रक्चर एंड डी.डी. मुकाम वायटु

कम्प्लेक्स बनाम वायटु वायटु

किस्म मुकदमा नॉ. 111, 128 REACT नं. 356/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>डुना 1114</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 REACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। निप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/02/2020</u> को पेश हो।  सहायक पत्रावली (SDO) वायटु	
11/02/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय रसकारान उपस्थित। पीठासीन आंध कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। जिसल इत्तबा होकर दिनांक <u>19/05/2020</u> का है। <u>2</u>	
19/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय रसकारान उपस्थित। पीठासीन आंध कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। जिसल इत्तबा होकर दिनांक <u>13/07/2020</u> का का है। <u>2</u>	
13/07/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय रसकारान उपस्थित। पीठासीन आंध कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। जिसल इत्तबा होकर दिनांक <u>14/09/2020</u> का का है। <u>2</u>	
14/09/2020	पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय रसकारान उपस्थित। पीठासीन आंध कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। जिसल इत्तबा होकर दिनांक <u>23/11/2020</u> का है। <u>2</u>	

23/11/2020

— प्राची वहील उपदिपत। विभागीयों के नोडिस

तामिल मद्रम तामिल प्रयात। सीमान्त
पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यों में व्यत्यय होने
से मिकाल इलतवा दोडर सागापी दिनांक 08/02/2021
को पेश की।

23/11/2020
26/02/2022

08/02/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकन उपदिपत
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा हाकर दिनांक 19/04/2021
को पेश की।

19/04/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकन उपदिपत
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा हाकर दिनांक 02/06/2021
को पेश की।

02/06/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकन उपदिपत
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इलतवा हाकर दिनांक 13/09/2021
को पेश की।

13/09/2021

— प्राची वहील उपदिपत। विभागीयों के नोडिस
तामिल मद्रम तामिल प्रयात। सीमान्त पीठासीन अधि-
कारी द्वारा कार्यों में व्यत्यय होने से मिकाल इलतवा
दोडर सागापी दिनांक 01/12/2021 को पेश की।

01/12/2021

— प्राची वहील उपदिपत। विभागीयों के नोडिस
तामिल मद्रम तामिल प्रयात। सीमान्त पीठासीन अधि-
कारी प्रयात गौवों के तमिल मद्रम-2021 के व्यत्यय
व्यत्यय होने से मिकाल इलतवा दोडर सागापी दिनांक
22/02/2022 को पेश की।

7
9

हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

22/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के
नोडियल तामिल गुंडा प्राप्त जिसे शामिल करना
पत्नी विद्या राजा/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
मैनुअपस्थित/ न्यायालय समय लीन का विवरण
लगाई गई मैनिंग आवक 5-45 PM पर लगाई
गई विप्रार्थीगण खेत में आ उनही मोटे के डोई
अधिक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिज्जत विप्रार्थीगणों
के फेरवड्ड एडवोकेट काफवाड़ी तमिल में लखुजानी
है अतः सुनते वइस पत्रावली दिनांक-05/05/2022
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायलु

05/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायलु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 583

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 05/05/2022
विप्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र जेताराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. रावताराम पुत्र टीकूराम वगैरा 14,
जाति जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 356/2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - रतेऊ, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 768/29, 775/34 रकबा क्रमशः 12.11, 13.10 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 05/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 584-588

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र जेताराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री रावताराम पुत्र टीकूराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु